

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर

68/2024/प्रा.पत्र/2024

तारीख दायरा

04.09.2024

रामरतन साँकरिया

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

08.11.2024

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण,  
टोंक

बनाम

.....प्रार्थी

- 1-श्री हरीश कुमार सिन्धी पुत्र श्री सतराम दास सिन्धी निवासी बृजलाल नगर जय हनुमान  
कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स आनन्द पवित्र भोजनालय बस स्टैण्ड मालपुरा  
जिला टोंक राज0। पिनकोड-304502 मो0न0 9314134491  
2-मैसर्स आनन्द पवित्र भोजनालय बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक राज0।  
पिनकोड-304502

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)  
की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।  
2-अप्रार्थी श्री हरीश कुमार सिन्धी स्वयं उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 08.11.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी दिनांक 14.05.2024 को समय 03:30 पीएम पर मैसर्स आनन्द पवित्र भोजनालय  
बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता के हैसियत से श्री हरीश कुमार  
सिन्धी पुत्र श्री सतराम दास सिन्धी अपने प्रतिष्ठान मैसर्स आनन्द पवित्र भोजनालय बस  
स्टैण्ड पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री हरीश कुमार सिन्धी पुत्र  
श्री सतराम दास सिन्धी को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर हरीश  
कुमार सिन्धी पुत्र श्री सतराम दास सिन्धी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/प्रोपरायटर  
होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि  
आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में दूध, दही, छाछ, घी के साथ दुकान के डीप फ्रीजर में  
लगभग 15-20 किलोग्राम दही(लौ फैंट) रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री  
हरीश कुमार सिन्धी पुत्र श्री सतराम दास सिन्धी को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते  
नमूना जांच कराने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य  
कारोबारकर्ता श्री हरीश कुमार सिन्धी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर



प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह दही(लौ फ़ैट)वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है. प्रतिष्ठान में डीप फ़ीजर में एक भगोने में रखे लगभग 15-20 किलोग्राम दही(लौ फ़ैट) में से 800 ग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम दही(लौ फ़ैट) को प्लास्टिक की साफ एवं सूखी चार शिशियों में 200-200 ग्राम के बराबर-बराबर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 16-16 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला मिलाकर शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाय प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4040 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4040 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/688 दिनांक 11.06.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1893/एक्ट/2024/2007 दिनांक 30.05.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया दही(लौ फ़ैट)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री हरीश कुमार सिन्धी स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। उक्त दही (लौ फ़ैट) गाय भैंस के दूध से निर्मित किया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस दही(लौ फ़ैट) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा49)



  
भारतिरेक्त जिला माजस्ट्रट  
टोक

में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दही(लौ फ़ैट) का नमूना व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.11.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सामरतन सीकरिया)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
टोंक  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0